



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(205)-2021

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-344

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-1635/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(69)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या के समक्ष,-

(i) स्तम्भ (3) में, प्रविष्ट के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या समान प्रकार की योजना में पूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेट (प्रीमिक्स)" रख दिया जायेगा;

(ii) स्तम्भ (4) में, प्रविष्ट में, "खाद्य निर्मितियों" दोनो स्थानों पर जहाँ पर वे आएँ, के स्थान पर शब्द "माल" रख दिये जायेंगे;

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1044 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(205)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1044 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(205)-2021

Dated Lucknow, October 1, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 9 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, (U.P. Act no. 1 of 2017) the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification no. KA.NI.-2-1635/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(69)-2017, dated November 2, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, against S. no. 1,-

(i) in column (3), *for* the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;

(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be *substituted*;

(ii) in column (4), in the entry, *for* the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be *substituted*;

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 364 राजपत्र-2021-(826)-599 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 27 सा० राज्य कर-2021-(827)-1000 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/ऑफसेट)।